बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञाप संख्या-14/व3-90/2001 उ0शि0.../15... पटना, दिनांक 09 दिसम्बर'2009।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित * (द्वारा वित्त विभाग)।

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्नातक स्तरीय अंगीभूत तथा घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक के साथ-साथ कुलपति/प्रतिकुलपति को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित यू0जी0सी0 वेतनमान लागू करने के कम में केन्द्र सरकार के अंशदान की राशि रूपये 5,93,00,000/- (पाँच करोड़ तेरानबे लाख रूपये) मात्र तथा इसके आधार पर राज्य सरकार के अंशदान की राशि 1,18,60,000/- (एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र अर्थात कुल 7,11,60,000/- (सात करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र को वेतनान्तरण हेतु तृतीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैर योजनान्तर्गत अनुदान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

ऊपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों एवं घाटानुदान महाविद्यालय के शिक्षकों, जो विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं या सेवा निवृत्त हो चुके हैं को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से विभागीय पत्रांक 1300 दिनांक 20.07.2001 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित यू0जी0सी0 वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.1996 से 31.03.2000 तक की अवधि के लिए वेतनान्तर की अन्तर राशि के भुगतान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त रूपये 5,93,00,000/- (पाँच करोड़ तेरानबे लाख रूपये) मात्र एवं राज्य सरकार के अंशदान की राशि रू0 1,18,60,000/- (एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र अर्थात कुल 7,11,60,000/- (सात करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत करने की कृपा है। उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2009-10 के राजकीय बजट में उपबंधित राशि के अन्तर्गत है।

2. वेतनादि भुगतान से पूर्व विश्वविद्यालय अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी कृपया सुनिश्चित हो लेंगे कि:-

(i) स्वीकृत की जानेवाली राशि से जिन शिक्षकों का भुगतान किया जाना है उनके वेतनादि का निर्धारण पटना एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उपधारा (11) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों एवं विभागीय के पत्रांक 1300 दिनांक 20.07.2001 एवं अद्यतन संशोधित पत्रांक 868 दिनांक 16.05.2005 तथा 869 दिनांक 16.05.2005 के आधार पर किया गया है।

(ii) शिक्षकों की प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 58(10)/पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 57(10) के आलोक में आयोग की सहमति प्राप्त है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859/96 में दिये गये न्याय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतनादि की अनुमान्यता निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।

(iii) शिक्षकों को ऐसा कोई वेतन /भत्ता या अन्य कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हो।

(iv) नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु राशि भी सम्मिलित है परन्तु, विश्वविद्यालय कर्मियों, अधिकारियों तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वैसे किसी भी शिक्षक को वेतनान्तर की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिनका नाम माननीय न्यायमूर्त्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में आर0–2 तथा एन0आर0 के रूप में प्रतिवेदित है।

3. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहीत नहीं है अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जायगा कि किसी भी परिस्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं हो रहा है।

4. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 35(3) तथा 56(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि की संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कारवाई की जायेगी। इस प्रकार का अनियमित भुगतान करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अन्य विधिसंगत तथा वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई करने के साथ-साथ राशि के अपव्यय के लिए आपराधिक मुकदमा भी दायर किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जाने वाली राशि से शिक्षकों की भविष्य निधि एवं अन्य मदों में की गयी कटौतियों को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा किये जाने की कारवाई विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट शीर्ष "2202–सामान्य शिक्षा-03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102- विश्वविद्यालयों को सहायता- माँग संख्या- 21-0001-पटना विश्वविद्यालय विपत्र कोड- N2202031020001-3101 सहायक अनुदान, 0002- मगध विश्वविद्यालय विपत्र कोड- N2202031020002-3101 सहायक अनुदान, 0003- बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय) विपत्र कोड- N2202031020003-3101 सहायक अनुदान, 0004- जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा विपत्र कोड- N2202031020004-3101 सहायक अनुदान, 0005- वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा विपत्र कोड- N2202031020005-3101 सहायक अनुदान, 0008 बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा विपत्र कोड- N2202031020008-3101 सहायक अनुदान, 0009- भागलपुर विश्वविद्यालय विपत्र कोड-N2202031020009-3101 सहायक अनुदान, 0011- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विपत्र कोड-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों/ घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/कुलपति/प्रतिकुलपति को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित यू०जी०सी० वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के अंशदान की राशि रू० 5,93,00,000/- एवं राज्य सरकार के अंशदान की राशि 1,18,60,000/- अर्थात कुल 7,11,60,000/- रू० मात्र वेतनान्तर के भुगतान हेतु तृतीय किस्त के रूप में गैरयोजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान की विवरणी:

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	कुल योग
1	2	3	4	5
1	पटना विश्वविद्यालय	3593726	718745	4312471
2	मगध विश्वविद्यालय	14115125	2823025	16938150
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय	9575011	1915002	11490013
4	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	3520398	704080	4224478
5	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय	4194278	838856	5033134
6	ति0माँ0 भागलपुर विश्वविद्यालय	7036446	1407289	8443735
7	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय	5370937	1074187	6445124
8	ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय	9681654	1936331	11617985
9	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय	2212425	442485	2654910
	कुल योग:-	**59300000**	**11860000**	**71160000**

(सात करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये) मात्र ।

9.12.15

(संयुक्त सचिव)
मानव संसाधन विकास विभाग